26/12/24

भीम BHIM

150

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022 जयपुर, दिनांक :25 दिसम्बर, 2024

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति संलग्न) में उल्लेखित राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव दिसम्बर, 2024–जनवरी, 2025 के लिये मतदान दिनांक 09.01.2025 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात **दिनांक 07.01.2025 को सांय 05.00 बजे से दिनांक 09.01.2025 को सांय 05.00 बजे तक सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

Sd/-
(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ.4(2)(2)नपा/रानिआ/2024/3890 दिनांकः– 26.12.2024

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बांसवाड़ा, चित्तौडगढ़, दौसा, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर ग्रामीण, सवाईमाधोपुर एवं सीकर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अम्बा लाल मीणा)
उपसचिव